रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 10—मार्च 16, 2019, शनिवार/फाल्गुन 19—फाल्गुन 25, 1940

No. 11] NEW DELHI, MARCH 10—MARCH 16, 2019, SATURDAY/PHALGUNA 19— PHALGUNA 25, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2019

का.आ. 366—यत: दिनांक 22.1.2014 की अधिसूचना के द्वारा श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था:

और यत: श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 3.7.2018 के पत्र के तहत कारण बताओ नोटिस देकर उनसे यह पूछा गया था कि क्यों न उन्हें कार्यपालक निदेशक के पद पर रहते हुए पंजाब नैशनल बैंक के कार्यकरण पर समुचित नियंत्रण रखने में असफल रहने के लिए पद से हटा दिया जाए, जिसके कारण बैंक की ब्रैडी हाऊस शाखा, मुम्बई में एसडब्ल्यूआईएफटी (स्विफ्ट) का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी की गई, जिसका कई वर्षों तक पता नहीं चल सका, जिससे बड़ी राशि की धोखाधड़ी हुई:

और यत: पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड से भी उक्त उप-पैरा (4) के उपबंधों के संदर्भ में परामर्श किया गया था:

और यत: कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव के उत्तर और पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड की टिप्पणियों सहित इस मामले पर विचार करते हुए और पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव के बने रहने पर विचार पंजाब नैशनल बैंक में उनके उक्त पद (शीर्ष प्रबंधन) की असफलता के संदर्भ में करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट है कि उन्हें उक्त पद से हटाना पंजाब नैशनल बैंक के हित में समयोचित है:

अत: अब बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे संतुष्ट होने पर कि श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव को पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से हटाना पंजाब नैशनल बैंक के हित में समयोचित है, उन्हें, एतद्वारा, इस पद से तत्काल हटाती है।

यह उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में के. वी. ब्रह्माजी राव बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका (सी) 14014/2018 के परिणाम के अध्यधीन है।

[फा. सं. 16/13/2018-बीओ-I]

संजय कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 18th January, 2019

S.O. 366.— Whereas Shri K. Veera Brahmaji Rao was appointed as Executive Director, Punjab National Bank, *vide* notification dated 22.1.2014, for a period of five years from the date of his taking over the charge of the post or, until further orders, whichever is earlier:

And whereas, Shri K. Veera Brahmaji Rao, was given opportunity in terms of the provisions of sub-paragraph (4) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, to show cause *vide* letter dated 3.7.2018 why he should not be removed from office for having failed in exercising proper control over the functioning of Punjab National Bank while serving as its Executive Director, which enabled the fraud in the bank through misuse of SWIFT at the bank's Brady House, Mumbai Branch to persist undetected for several years, snowballing into a large amount:

And whereas, the Board of Punjab National Bank was also consulted in terms of the provisions of sub-paragraph (4) *ibid.*:

And whereas, after considering the matter, including Shri Rao's reply to the show cause notice and the comments of the Board of Punjab National Bank, and considering that Shri K. Veera Brahmaji Rao's continuation in office as Executive Director, Punjab National Bank needs to be viewed in the context of his failure in like [top management] capacity in Punjab National Bank, the Central Government is satisfied that it is expedient in the interests of Punjab National Bank to remove him from the said office:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provisions of sub-paragraph (4) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1970, made by the Central Government in exercise of powers under section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby removes Shri K. Veera Brahmaji Rao from the office of Executive Director of Punjab National Bank, with immediate effect, for the reason that it is satisfied that it is expedient in the interest of Punjab National Bank to so remove.

This is subject to outcome of the W.P. (C)14014/2018 in the matter of K. V. Brahmaji Rao V/s Union of India, in the High Court of Delhi at New Delhi.

[F. No. 16/13/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR, Director

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2019

का.आ. 367.—यत: दिनांक 15.9.2016 की अधिसूचना के द्वारा श्री संजीव शरण को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, दिनांक 31.5.2019 अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था:

और यत: श्री संजीव शरण को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 3.7.2018 के पत्र के तहत कारण बताओ नोटिस देकर उनसे यह पूछा गया था कि क्यों न उन्हें कार्यपालक निदेशक के पद पर रहते हुए पंजाब नैशनल बैंक के कार्यकरण पर समुचित नियंत्रण रखने में असफल रहने के लिए पद से हटा दिया जाए, जिसके कारण बैंक की ब्रैडी हाऊस शाखा, मुम्बई में एसडब्ल्यूआईएफटी (स्विफ्ट) का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी की गई, जिसका कई वर्षों तक पता नहीं चल सका, जिससे बड़ी राशि की धोखाधड़ी हुई:

और यत: पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड से भी उक्त उप-पैरा (4) के उपबंधों के संदर्भ में परामर्श किया गया था:

और यत: कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्री संजीव शरण के उत्तर और पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड की टिप्पणियों सहित इस मामले पर विचार करते हुए और पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर श्री संजीव शरण के बने रहने पर विचार पंजाब नैशनल बैंक में उनके उक्त पद (शीर्ष प्रबंधन) की असफलता के संदर्भ में करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट है कि उन्हें उक्त पद से हटाना पंजाब नैशनल बैंक के हित में समयोचित है:

अत: अब बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे संतुष्ट होने पर कि श्री संजीव शरण को पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से हटाना पंजाब नैशनल बैंक के हित में समयोचित है, उन्हें, एतद्द्वारा, इस पद से तत्काल हटाती है।

[फा. सं. 16/13/2018-बीओ-I]

संजय कुमार, निदेशक

New Delhi, the 18th January, 2019

S.O. 367.—Whereas Shri Sanjiv Sharan was appointed as Executive Director, Punjab National Bank, *vide* notification dated 15.9.2016, with effect from the date of his taking over charge of the post, and up to 31.5.2019, *i.e.,* the date of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier:

And whereas, Shri Sanjiv Sharan, was given opportunity in terms of the provisions of sub-paragraph (4) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, to show cause *vide* letter dated 3.7.2018 why he should not be removed from office for having failed in exercising proper control over the functioning of Punjab National Bank while serving as its Executive Director, which enabled the fraud in the bank through misuse of SWIFT at the bank's Brady House, Mumbai Branch to persist undetected for several years, snowballing into a large amount:

And whereas, the Board of Punjab National Bank was also consulted in terms of the provisions of sub-paragraph (4) *ibid.*:

And whereas, after considering the matter, including Shri Sharan's reply to the show cause notice and the comments of the Board of Punjab National Bank, and considering that Shri Sanjiv Sharan's continuation in office as Executive Director, Punjab National Bank needs to be viewed in the context of his failure in like [top management] capacity in Punjab National Bank, the Central Government is satisfied that it is expedient in the interests of Punjab National Bank to remove him from the said office:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provisions of sub-paragraph (4) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1970, made by the Central Government in exercise of powers under section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby removes Shri Sanjiv Sharan from the office of Executive Director of Punjab National Bank, with immediate effect, for the reason that it is satisfied that it is expedient in the interest of Punjab National Bank to so remove.

[F. No. 16/13/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR, Director

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2019

का.आ. 368.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (3क) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री गिरीश कुमार आहुजा (जन्म तिथि: 29.5.1946) को इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुन: नामित करती है।

[फा. सं. 6/31/2018-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 6th February, 2019

S.O. 368.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 19, read with sub-section (3A) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), Central Government, hereby re-nominates Shri Girish Kumar Ahuja (DOB: 29.5.1946) as part-time non-official director on the Central Board of Directors of State Bank of India, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/31/2018-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2019

का.आ. 369.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (3क) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. पुष्पेन्द्र राय (जन्म तिथि: 2.6.1953) को इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुन: नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 6th February, 2019

S.O. 369.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 19, read with sub-section (3A) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), Central Government, hereby re-nominates Dr Pushpendra Rai (DOB: 2.6.1953) as part-time non-official director on the Central Board of Directors of State Bank of India, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2019

का.आ. 370.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्द्वारा, विजया बैंक की महाप्रबंधक, सुश्री मणिमेखलई ए. (जन्म तिथि 4.3.1966) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th February, 2019

S.O. 370.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Ms Manimekhalai A. (DOB: 4.3.1966), General Manager, Vijaya Bank as Executive Director, Canara Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further order, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.